

उच्च अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

बन्टू कुमार बनाम - अमरसिंह वगैरे

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र U/S 212 RTA . नम्बर..... 132 सन् 2022

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 11.11.2022 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं वकील सायल को सुना गया। प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसालयान दिनांक 15.12.2022 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं०, 1732, 1746, 1747, 1752, 1726, 1727, 1729, 1730, 1731, 374, स्थित ग्राम नदौली एवं आराजी ख० नं० 1835 स्थित ग्राम सामलियापुरा तहसील राजाखेडा पर रहन, वय-मुन्तकिल नहीं करें, एवं सायलान के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें, और रिकार्ड एवं मौके की यथा-स्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15.12.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर उच्च पेश करे। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.12.2022 को पेश हो।</p> | 0 |
| 15/12/22 | <p>वकील सायल उच्च अदालत के समक्ष पेश हुए।</p> | |
| 13/12/23 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील सायल द्वारा मूल वाद सायल के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत पर खारिज कर दिया गया है। अतः मूल वाद की शैशनी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली के शेष शुरुआत होकर दस्तावेज दफ्तर हो।</p> | |

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेडा बोलपुर (राज.)